



मौलाना मज़हूरुल हक़ अरबी एवं फ़ारसी विश्वविद्यालय, पटना

مولانا مظہر الحق عربی و فارسی یونیورسٹی، پٹنہ

Maulana Mazharul Haque Arabic & Persian University, Patna

Ref. F-1506/24, RE-S45/2024

Date: 20.11.2024

सेवा में,

सचिव

Shaheed Promod Higher Education

Madhopur Susta, Ramna, Muzaffarpur, Bihar

विषय:- स्नातक व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालन के संबंध में।

नमस्कार,

उपर्युक्त विषयक आपके संस्थान से प्राप्त आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अभिपद में लिए गए निर्णय एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से संस्थान को प्राप्त Letter of Approval (LoA) के आलोक में

सत्र 2024-25 से AICTE की संबंधित विषय में मान्यता जारी रहने तक औपबंधिक रूप से निम्न रूप से नामांकन लेने की अनुमति दी जाती है-

1. BBA - 300 सीट (AICTE से मान्यता जारी रहने तक)

2. BCA - 180 सीट (AICTE से मान्यता जारी रहने तक)

3. BLIS - 60 सीट (अगले आदेश तक)

आपके संस्थान को नामांकन की यह औपबंधिक अनुमति निम्न शर्तों के साथ दी जाती है-

1. औपबंधिक मान्यता AICTE की संबंधित विषय में मान्यता जारी रहने तक होगी।

2. मान्यता निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण के उपरान्त उसके प्रतिवेदन से फलीभूत होगी।

3. यह मान्यता आवेदन में वर्णित अवापसी योग्य शुल्क के रूप में BLIS के लिए रु० दो लाख BBA के लिए रु० एक लाख BCA के लिए रु० एक लाख अर्थात् कुल चार लाख जमा करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावी होगी जो इस पत्र की निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर बैंक ड्राफ्ट जमा करनी होगी।

4. किसी भी प्रकार की संस्थान में रिक्ति पर नियुक्ति विश्वविद्यालय प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही होगी एवं इसका विश्वविद्यालय से अनुमोदन लेना होगा।

5. सभी पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम शुल्क का 20% राशि विश्वविद्यालय में पंजीकरण शुल्क के साथ जमा करना होगा।

6. संस्थान द्वारा आवेदन में समर्पित किसी भी प्रकार की गलती/जाली पाए जाने पर यह अनुमति तत्काल प्रभाव से वापस ले ली जाएगी।

7. सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों का आधार, PAN, मोबाइल न०, आवासीय साक्ष्य, शैक्षणिक योग्यता संबंधी साक्ष्य की अभिप्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय में जमा करेंगे।

8. विश्वविद्यालय बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी औचक रूप से संस्थान का निरीक्षण कर सकती है।

9. BLIS हेतु Colon Classification की 20 एवं DDC 19th Edition की 10 अदद मूल प्रति पुस्तकालय में अवश्य होनी चाहिए। इसके साथ ही अन्य अनुशंसित पुस्तक भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए।

10. उपरोक्त में किसी भी नियम या शर्त का उल्लंघन करने पर तत्काल मान्यता वापस ले ली जाएगी।

माननीय कुलपति महोदय के आदेश से।

विश्वराजभाजन

20/11/24
(कर्नाल कामेश कुमार)
कुलसचिव